न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 51 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. रावताराम पुत्र जलाल 2. सगताराम पुत्र जलाल 3. फुसाराम पुत्र बूलाराम 4. तीजो पत्नी बूलाराम 5. उम्मेदाराम दतक पुत्र तगाराम जातियान मेघवाल निवासीयान देवानियों का तला (कापराऊ) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. कानजीराम पुत्र उतमाराम 2. गोरधनराम पुत्र उतमाराम जातियान मेघवाल निवासीयान देवानियों का तला (कापराऊ) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई शाखा चौहटन 4. श्रीमान तहसीलदार चौहटन

अपोल अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 91 / 2023 बउनवान कानजीराम वगैरह बनाम रावताराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.04.2025 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री राणाराम गौड़, श्री पवन धारीवाल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामजीवन विश्नोई, श्री भवानी शंकर उतरदाता संख्या 01 से 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—16.05.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उतरदाता संख्या 01 से 02 ने अधीनस्थ अदालत में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मौजा देवानियों का तला (कापराऊ) के रेस्पोडेंट संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 97 रकबा 5.3257 हैक्टेयर, खसरा संख्या 586 / 197 रकबा 1.2626 हैक्टेयर व रेस्पोडेंट संख्या 02 के खेत खसरा संख्या 581 / 197 रकबा 6.8068 हैक्टेयर में आने जाने हेतु ग्राम देवानियों का तला (कापराऊ) के अपीलांटगण संख्या 01 व 02 के खेत खसरा संख्या 378 रकबा 2.0153 हैक्टेयर, खसरा संख्या 408 / 198 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, अपीलांटगण संख्या 03 व 04 के खेत खसरा संख्या 405 / 198 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा संख्या 407 / 198 रकबा 7.7700 हैक्टेयर एवं अपीलांट संख्या 5 के खेत खसरा संख्या 524 / 376 रकबा 5.0505 हैक्टेयर में नया रास्ता कायम करने हेतु हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया उक्त मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण/उत्तरदाता को अपने खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु खसरा संख्या 316/80, 313/72 में से होकर कम दूरी पर रास्ता उपलब्ध है। जहां पर सेटलमेंट से ही कदीमी रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत यदि कोई रास्ता पूर्व में चल रहा हो तो नया रास्ता नहीं दिया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बहस की स्टेज पर ही नहीं था तथा बहस सुने बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार चौहटन ने अपनी मौका रिपोर्ट में रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 को खेत खसरा संख्या 316/80, 313/72 में नक्शा परिशिष्ठ "बी" में नजदीक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी रास्ता नहीं दिया जाकर परिशिष्ठ "ए" में बताये अनुसार वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। रेस्पोडेंटस ने अपने आवेदन धारा 251ए के साथ जो नक्शा परिशिष्ट 'अ' प्रस्तुत किया है उसमें जिस प्रकार से रास्ता चाहा गया था उस अनुसार तहसीलदार चौहटन ने मौका रिपोर्ट में रास्ता नहीं दिया। तहसीलदार चौहटन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण ने पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर आवेदन को दिनांक 15.04.2025 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 3190/2025 पेश की गई। निगरानी पेश होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया गया। उतरदाता संख्या 01 से 02 का प्रार्थना–पत्र पर स्वीकार कर आलोच्य आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के स्थान पर कभी भी रास्ता नहीं रहा। अपीलाधीन रास्ते की उत्तरदराता को कोई अत्यांतिक आवश्यकता नहीं थी केवल मात्र अपनी जोत के सुविधाजनक उपभोग एवं उपयोग के लिए रास्ते का आवेदन किया गया। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 01 से 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेंटस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प जो किसी भी सड़क मार्ग से तथा सार्वजनिक स्थान से नहीं जुड़ता। अपीलांटस द्वारा बताये वैकल्पिक रास्ते की कोई उपयोगिता नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपील में बताये रास्ते के विकल्प को स्वीकृत करने पर उतरदातागण की रास्ते की मांग पूर्ण नहीं होती है। रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अपीलांटस द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में पेश निगरानी में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया एवं वर्तमान में निगरानी को फैसल किया जा चुका है। इसलिए मातहत अदालत को प्रकरण सुनने का पूर्ण अधिकार था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रदत्त रास्ते के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु किसी भी प्रकार के प्रदत्त रास्ते से सुगम, युक्तियुक्त वैकल्पिक रास्ता का विकल्प नहीं बताया गया। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन का अधिकतम 90 दिवस में निस्तारण किया जाना आवश्यक है। लेकिन हस्तगत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 24.04.2025 को अंतिम आदेश पारित किया गया। उक्त आवेदन को निस्तारण करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी इंगित नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण/उत्तरदाता की खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम सुगम विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई सुगम विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रस्तावित रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलांटस द्वारा येन केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से हस्तगत अपील पेश की गई प्रतीत होती है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 91/2023 बउनवान कानजीराम वगैरह बनाम रावताराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 24.04.2025 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

16/5/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.05.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/5/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर